

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 जनवरी 2019—पौष 15, शक 1940

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
“निर्वाचन भवन”
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462011

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2019

क्र. एफ-70-31-2014-तीन-05.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-70-31-2014-तीन-59, दिनांक 2 फरवरी 2017 द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-24-क(1)(पांच) में आयोग द्वारा नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् में स्थान/स्थानों को भरने के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र में संशोधन किया गया था जिसका “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” क्रमांक 55, दिनांक 02 फरवरी 2017 में प्रकाशन हुआ है. प्रकाशन में आदेश में “मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार” मुद्रित है इसके स्थान पर “मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.